

05/6
25

पत्रावली प्राचीन फूलकंद जरिये अधिवक्ता
के आवेदन पर पेश हुई प्रतिवादीया
संख्या 2 नै जरिये अधिवक्ता आवेदन
अन्तर्गत आदेश 4। नियम 5(2) व धारा
15। फल पेश कर निवेदन किया कि
न्यायालय राजा के निर्णय दिनांक 03/6/7
से प्रतिवादीया सं. 2 की अपूर्णता इति
हुई है प्रतिवादीया सं. 2 नै निवेदन
किया कि उक्त आदेश की पालना होकर
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ही प्राण

अपूर्णिय

है तो प्रतिवाडिया को अपूर्णिय क्षति
 होगी तथा प्रतिवाडिया का अपील
 करने का औचित्य समाप्त हो जायेगा।
 अतः न्यायद्वि में प्रतिवाडिया सुं. 2
 का आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम
 5 पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
 दातारामगढ को आदेशित किया जाया
 है कि उक्त प्रकरण में अपीलिय अवधि
 तक (निर्णय दिनांक 03.06.2025 से
 30 दिवस तक) राजस्व रिमांड में
 अमल दरमाद न करे पत्रावली फॉर्म
 शुमार होकर नम्बर से कम होकर दखिल
 दफतर् हो।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ